

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1073/2012/सिरोही.

मैसर्स अरिहन्त पेपर मार्ट, आबूरोड़ (सिरोही).

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 17/07/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 133/आरवेट/सिरोही/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 61(1) एवं 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.9.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 12.03.2010 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिसमें माल का भौतिक सत्यापन किया जाकर उसका मिलान नियमित लेखा-पुस्तकों से किया जाने पर लेखा-पुस्तकों में दशाये गये स्टॉक के अनुपात में रूपये 6,09,030/- का स्टॉक अधिक पाया गया एवं जांच के दौरान कुछ लूज पेपर्स का मिलान खरीद एवं बिक्री बिलों से किया जाने पर रूपये 45,325/- की राशि के बिक्री बिल जारी होना नहीं पाया गया तथा व्यवहारी द्वारा की गई पी-लॉक ब्राण्ड की एडहेसिव की बिक्री को 4 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत होना अवधारित किया। इस तरह उक्त तीन बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर जो आदेश पारित किया गया उसमें अघोषित अधिक स्टॉक पर वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 1,82,379/- आरोपित की गयी एवं रूपये 45,325/- की छिपाई गई बिक्री पर कर एवं वेट अधिनियम की धारा 61(1) के तहत शास्ति आरोपित की गयी

लगातार.....2






तथा एडहेसिव की बिक्री पर अन्तर कर 8.5 प्रतिशत की दर से आरोपित करने के साथ वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी थी। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.9.2010 के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तीन बिन्दुओं पर निर्णय देते हुए अपीलार्थी की अघोषित स्टॉक के सम्बन्ध में अपूर्ण जांच किये जाने के तर्क को स्वीकार करते हुए सुनवाई का मौका दिये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया, जबकि एडहेसिव की बिक्री रूपये 60,000/- पर कर दर 12.5 प्रतिशत होने की पुष्टि की गयी परन्तु उस अन्तर कर के सन्दर्भ में आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया परन्तु रूपये 45,325/- पर कोई निर्णय अंकित नहीं किया गया। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि अघोषित स्टॉक के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की गयी है क्योंकि सर्वे के समय स्टॉक का मूल्यांकन और सत्यापन उचित रूप से नहीं किया गया था अतः आरोपित शास्ति को अपास्त करने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक द्वारा पी-लॉक ब्राण्ड के एडहेसिव की बिक्री पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत के करारोपण का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रथमतः यह माल एक स्टेशनरी के रूप में सम्मिलित होने योग्य है जो 4 प्रतिशत से कर योग्य है एवं द्वितीय यह माल वैट अनुसूची-IV के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 143 से 159 के अधीन सम्मिलित योग्य होने से भी 4 प्रतिशत से कर योग्य है क्योंकि यह एडहेसिव एक्साईज की टैरिफ 3905 के समकक्ष होने से यह माल उक्त प्रविष्टियों के अधीन माना जाने योग्य है क्योंकि यह इण्डस्ट्रीज में इनपुट की तरह कार्य में आता है। अपने इस कथन के समर्थन में कि यह माल स्टेशनरी के मद में सम्मिलित योग्य है, पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ए, उदयपुर बनाम मैसर्स नाहर एण्ड कम्पनी, उदयपुर टैक्स अपडेट वोल्यूम-7 पार्ट-4 पेज 147 का हवाला देते हुए बताया कि इसमें गम पेस्ट को स्टेशनरी माने जाने का निर्णय दिया गया है। इसी तरह माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, इन्दौर बनाम मॉडर्न एजेन्सी (2006) 146 एस.टी.सी. 01 के न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए कथन किया कि इसमें Synthetic Gum used for pasting envelope papers को स्टेशनरी माना गया है अतः उनके उत्पाद एडहेसिव को स्टेशनरी मानते हुए 4 प्रतिशत करारोपण को विधिक माने जाने का कथन किया।




 लगातार.....3  
17/07/17



5. विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 45,325/- पर जो करारोपण रूपये 1813/- किया गया था उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है जबकि सभी लूज पेपर्स की बिक्री को स्पष्ट कर दिया गया था।
6. राजस्व की ओर से विद्वाने उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अध्ययन किया गया एवं सर्वेक्षण के दौरान लिये गये बयान एवं जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका का भी अध्ययन किया गया। व्यवसायी के विरुद्ध माल के भौतिक सत्यापन पर उक्त सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि रूपये 6,07,930/- का माल अधिक पाया गया था उस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को यह जवाब प्रेषित किया गया था कि उनके द्वारा जो स्टॉक रजिस्टर पेश किया था उसमें केलकुलेटर में गलत बटन दबाने से रूपये 5,00,000/- का फर्क आया था। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचन के साथ यह स्पष्ट किया है कि यह रूपये 5,00,000/- के माल को एडजस्ट करने के लिये स्टॉक रजिस्टर में सर्वेक्षण के बाद माल क्रय करने की प्रविष्टियां की गयी हैं जो कि रजिस्टर के अवलोकन पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं तथा इस निष्कर्ष के लिये उनके द्वारा, दो घोषणा पत्र वैट-47, जिनके समर्थन से रूपये 5,00,000/- का माल लाना बताया गया था उनका विवरण उल्लेखित कर बताया कि अलग-अलग दिनाकों के जारी बिलों के विरुद्ध एक ही वैट-47 का उपयोग सम्भव ही नहीं है बल्कि केवल एडजस्टमेंट के लिये सर्वेक्षण के बाद बिल प्राप्त किये गये हैं एवं सर्वेक्षण के बाद उन्हें क्रय रजिस्टर में प्रविष्टि किये जाने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद भी अपीलीय अधिकारी द्वारा एक और मौका देते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का जो निर्णय दे दिया गया है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हुए उक्त समस्त परिस्थितियों का परीक्षण करते हुए पुनः आदेश पारित करने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये जाते हैं।
9. व्यवसायी द्वारा जो माल पी-लॉक एडहेसिव के रूप में बेचा गया है उस माल को विद्वान अभिभाषक द्वारा एक और स्टेशनरी बताया गया है एवं दूसरी ओर अपील आधारों में इसे अनुसूची-IV के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 143 से 159 में औद्योगिक इनपुट बताया है जो किसी वस्तु के निर्माण के लिये कच्चे



लगातार.....4  
  
 17/07/17





माल के रूप में प्रयुक्त होती है जो स्वयं अपने आप में कोई फिनिशड गुड्स नहीं होता है जबकि इस प्रकरण में व्यवसायी द्वारा पी-लॉक एडहेसिव खरीदकर विक्रय किया गया है एवं व्यवसायी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान भी यह स्पष्ट बताया गया है कि उस माल का उपयोग अभ्यास पुस्तिका को चिपकाने के लिये किया जाता है। चूंकि यह माल किसी स्टेशनरी के रूप में काम न आकर पूर्णतया कोपी के निर्माण में चिपकाने के लिये काम में आता है वह स्टेशनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जहां तक विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टान्तों का सम्बन्ध है, उनके अध्ययन पर यह स्पष्ट पाया गया कि उन दोनों ही मामलों में वे ग्लुस्टिक या सिन्थेटिक गम थे जो केवलमात्र स्टेशनरी जैसे कि एनवलप या पेपर्स को स्टेशनरी के रूप में कार्य में लेते हुए चिपकाने में काम में आते हैं, जबकि उक्त व्यवसायी द्वारा लिये गये एडहेसिव कोपी की मैन्यूफैक्चरिंग में काम में आते हैं जिसका स्टेशनरी के रूप में उपयोग नहीं हो सकता, बल्कि निर्माण कार्य में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है एवं प्रविष्टि संख्या 143 से 159 का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इन प्रविष्टियों में पोलीमर्स के रूप में आने वाले कच्चे माल का उल्लेख है जो शुद्ध रूप से कच्चा माल है एवं उससे नई वस्तु का निर्माण होता है जबकि एडहेसिव एक फिनिशड गुड्स है। फलतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है एवं आरोपित अन्तर कर रूपये 5100/- की पुष्टि की जाती है।

10. अपीलार्थी द्वारा रूपये 45,325/- की बिक्री के सम्बन्ध में सत्यापन होना बताया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे असत्यापित होना बताया है परन्तु न्यायहित में एक और अवसर दिये जाने के मद्देनजर इस बिन्दु पर भी प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर इन लूज पेपर्स का सत्यापन करते हुए पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

  
( क. एल.जैन )  
सदस्य

  
( राजीव चौधरी )  
सदस्य